



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022023-243630  
CG-DL-E-15022023-243630

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653]  
No. 653]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 14, 2023/माघ 25, 1944  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 14, 2023/MAGHA 25, 1944

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2023

का.आ. 683(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 12 मई, 2017 में प्रकाशित, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना का.आ. संख्याक 1536 (अ), तारीख 12 मई, 2017, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्याक 162 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"163.	कोको ( थियोब्रोमा काकाओ एल.)	कोको	कोको
164.	मूली ( राफानस सैटिवस एल।)	रेडिश	मूली
165.	गाजर ( डौकस कैरोटा एल।)	कैरेट	गाजर"

[फा.सं. 2-9/2008-एसडी.V]

पंकज यादव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, का.आ. संख्याक 1536(अ), तारीख 12 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार का.आ. 5402 (अ), तारीख 18 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**

**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14 February, 2023

**S.O. 683(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 29 read with section 14 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare), vide number S.O. 1536(E), dated the 12th May, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 12th May, 2017, namely:-

In the said notification, in the table, after serial number 162 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“163.	Cocoa ( <i>Theobroma cacao</i> L.)	Cocoa	Coco
164.	Radish ( <i>Raphanussativus</i> L.)	Radish	Muli
165.	Carrot ( <i>Daucuscarota</i> L.)	Carrot	Gajar”

[F. No. 2-9/2008-SD.V ]

PANKAJ YADAV, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1536 (E), dated the 12th May, 2017 and was last amended vide number S.O. 5402 (E), dated 18th November, 2022.